न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–198 / 2022

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1 दीनसिंह गोदपुत्र भीमसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी गंगासरा, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1 रूपों पत्नि भीमसिंह वगैरा 22 जाति रावणा राजपुत निवासी गंगासरा, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :–

3. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादीगण
4. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– **दिनांक :**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा रामसर कुआ पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 61.1523 हैक्टेयर व मौजा नवलदेव छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 10, 23 रकबा क्रमशः 0. 0809, 39.4064 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं दीनसिंह गोदपुत्र भीमसिंह का शपथ पत्र PW 1 व स्वतंत्रगवाह के रूप में PW 2 जुंजारसिंह पुत्र तगसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीनी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं रूपों पत्नि भीमसिंह का शपथ पत्र DW 1 पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या

24/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

1 भीमसिंह के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा रामसर कुआ पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 61.1523 हैक्टेयर व मौजा नवलदेव छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 10, 23 रकबा क्रमशः 0.0809, 39.4064 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

24/11/2023
(मनोज)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक .... को खुली अदालत में सुनाया गया।

24/11/2023
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज R.A.S.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 दीनसिंह गोदपुत्र भीमसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी गंगासरा, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1 रूपों पत्नि भीमसिंह वगैरा 22 जाति रावणा राजपुत निवासी गंगासरा, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

राजस्व वाद संख्या–198 / 2022 **निर्णय दिनांक :–**

वादीगण वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी व प्रतिवादी संख्या 1 वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....को न्यायालय में सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा रामसर कुआ पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 61.1523 हैक्टेयर व मौजा नवलदेव छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 10, 23 रकबा क्रमशः 0.0809, 39.4064 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

24/1/2023

(मनोज)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सेवामें,

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 दीनसिंह गोदपुत्र भीमसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी गंगासरा, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1. रूपों पत्नी भीमसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र नाथूसिंह 3. जुंजारसिंह पुत्र तगसिंह 4. ढेलकंवर पत्नी कमलसिंह 5. तुलछसिंह पुत्र हरीसिंह 6. दरिया पत्नी हरीसिंह 7. दानसिंह पुत्र नाथूसिंह 8. देवीकंवर पुत्र हरिसिह 9. पन्नेसिंह पुत्र तगसिंह 10. गणपतसिह पुत्र नाथूसिंह 11. पुरखसिंह पुत्र नाथूसिंह 12. पवनसिह पुत्र कमलसिंह 13. भैरसिंह पुत्र हरीसिंह 14. भीखसिंह पुत्र सतासिंह 15. भोपालसिंह पुत्र हिमथसिह 16. मंगलसिंह पुत्र नाथुसिंह 17. मेहनकंवर पत्नि नाथूसिंह 18. राणसिंह पुत्र हरीसिंह 19. रसालकंवर पत्नि हरीसिंह 20. रामुदेवी पुत्री हरीसिंह 21. सूरकंवर पुत्री हरीसिंह 22. सुशीला पुत्री हरीसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी गंगासरा, चौखला, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

24/1/2023

(मनोज)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु